RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper

ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान उद्देश्य एवं क्रियान्वयन : सामान्य विश्लेषण

उषा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश–

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को लागू करने वाला मिशन है। इससे पहले निर्मल भारत अभियान जिसे कुल स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है, वर्ष 1999 में भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को साफ करने के लिए स्थापित किया था, लेकिन अब इसे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में पुनर्गठन किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य है कि 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों को खुले शौचालय से मुक्त किया जा सके, जिसके लिए देश में 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए लगभग एक लाख तीस हजार करोड़ रूपए लागत अनुमान लगाया गया। जिनका उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जन्म वर्ष गांठ को सही श्रद्धांजलि प्रदान करने के रूप में 2019 तक स्वच्छ भारत की स्थिति प्राप्त करना है। जिसका तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के जरिए स्वच्छता स्तरों को उन्नत बनाना तथा ग्राम पंचायतों को खुले में शौच प्रथा से मुक्त, स्वच्छ एवं साफ–सुधरा बनाना है। इस मिशन में कमियां दूर करने का प्रयास किया जाएगा जो इस समय प्रगति में रूकावट पैदा कर रही थीं तथा परिणामों को प्रभावित करने वाले जटिल मुद्दों पर ध्यान संकेन्द्रित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा–निर्देश और उसके अंतर्गत प्रावधानों को 02.10.2014 से लागू कर दिया गया है।

संकेताक्षर– स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण, पुनर्गठन, शौचालय, पेयजल, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान।

शोध विस्तार– भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में 1954 में शुरू किया गया था। 1981 की जनगणना से पता चला कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज मात्र 1 प्रतिशत था। वर्ष 1981–90 के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दशक में ग्रामीण स्वच्छता पर जोर देना शुरू किया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य प्राथमिक रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा महिलाओं को निजता एवं सम्मान प्रदान करना था। 1999 से ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' के अन्तर्गत ''मांग जनित'' दृष्टिकोण ने ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता तथा स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन में वृद्धि करने के लिए सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण मानव संसाधन विकास क्षमता विकास गतिविधियों पर अधिक जोर दिया। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार, वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्रों के जरिए समुचित विकल्पों का चयन करने हेतु उनकी क्षमता में बढ़ोतरी करना है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण तथा उपयोग पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए।[1]

स्वच्छता पर जागरूकता सृजित करने के लिए प्रथम निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में प्रदान किए गए थे जिनमें पूर्ण स्वच्छता कवरेज और खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों की स्थिति तथा अन्य संकेतकों को प्राप्त करना सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त उपलब्धियों और किए गए उपायों को मान्यता प्रदान की गई। निर्मल स्थिति प्राप्त करने के लिए समुदाय में इच्छा जागृत करने के लिए इस पुरस्कार को लोकप्रियता प्राप्त हुई जबकि पुरस्कार प्राप्त कुछेक ग्राम पंचायतों में स्थायित्व के मुद्दे बने रहे है।

पहले के सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के बदले ''निर्मल भारत अभियान'' 01.04.2012 से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना था ताकि नवीकृत कार्यनीतियों और स्वच्छता दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से कवर किया जा सके। निर्मल भारत अभियान में निर्मल ग्राम पंचायतों की दृष्टि से संतृप्तिकरण परिणामों के लिए समग्र समुदाय को कवर करने की परिकल्पना की गई थी। निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत, आईएचएचएल के लिए प्रोत्साहनों में वृद्धि की गई तथा आगे महात्मा गांधी नरेगा से सहायता प्राप्त करने पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया। तथापि, मनरेगा के साथ एनबीए के तालमेल में कार्यान्वयन संबंधी कठिनाईयां आ रही थीं क्योंकि विभिन्न स्त्रोतों से वित्तपोषण में विलम्ब हुआ था।[2]

सर्वव्यापी स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में वृद्धि करने तथा स्वच्छता पर ध्यान संकेन्द्रित करने हेतु भारत के प्रधान मंत्री ने दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की है। सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)

इस मिशन के समन्वयक बनाया गया। इस मिशन में दो घटक शामिल हैं– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)।

ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य– [3]

- स्वच्छता, साफ–सफाई और खुले में शौच प्रथा समाप्त करने को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना।
- दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत का विजन प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज की गति तेज करना।
- जागरूकता सृजन और स्वच्छता शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता और आदतें अपनाकर समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना।
- पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित एवं स्थायी स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी और संगत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- जहां भी आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण साफ–सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान संकेन्द्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास।

चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है, अतः कार्यनीति का फोकस राज्य सरकारों को अपनी कार्यान्वयन नीति एवं तंत्रों पर निर्णय लेने, राज्य विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए लोचनीयता प्रदान करके ''स्वच्छ भारत'' की ओर अग्रसर होना है। इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि राज्य एक कार्यान्वयन फ्रेमवर्क विकसित करें जिसका मिशन के अंतर्गत प्रावधानों का प्रभावी रूप से और अनुशंषा के प्रभाव का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। भारत सरकार की भूमिका तथा देश की अत्यधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के संकेन्द्रित कार्यक्रम के माध्यम से मिशन को स्थिति प्रदान करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए होगी।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में जिले को एक आधार इकाई के रूप में प्रस्ताव किया गया है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों में खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करना है। जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट/जिला पंचायतों के सीईओ से मिशन को स्वयं आगे बढ़ाने की आशा है ताकि मिशन की पूरे जिले की आयोजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके। राज्यों द्वारा संकल्पित 2013 के आधार भूत सर्वेक्षण के आंकड़ों और उन्हें मंत्रालय की आईएमआईएस पर 31.01.2015 तक दर्ज सभी राज्यों के लिए एक आधार के रूप में माना जाएगा, जहां सर्वेक्षण अभी पूरा किया जाना है अन्य राज्यों के लिए सर्वेक्षण के समापन पर दर्ज आंकड़ों को आधारभूत डाटा के रूप में लिया जाएगा।[4]

परियोजना प्रस्तावना को जिलों द्वारा तैयार किया जाएगा और इसकी जांच तथा राज्य योजना में समेकन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जिलेवार ब्यौरे के साथ राज्य योजना की हिस्सेदारी भारत सरकार (स्वच्छ भारत मिशन–पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय) के साथ साझा की जायेगी। इस योजना में पांच स्वतंत्र वार्षिक योजनाओं के साथ एक पंचवर्षीय योजना शामिल होगी जिसे पंचवर्षीय योजना में मिला दिया जाएगा। इन योजनाओं को मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष अनुमोदित किया जाएगा। संरचनात्मक अनुसंधान एवं परामर्श चक्र के आधार पर राज्य सुलभ संचार कार्यनीति, संचार योजना, सामग्री तैयार करेगा और इन साधनों का उपयोग करने के लिए सामुदायिक अभिप्रेरकों को प्रशिक्षित करेगा। राज्य योजना में सभी ग्राम पंचायतों के लिए समेकित प्रत्येक जिले में नियोजित आई.ई.सी.बी.सी.सी. संचालन कार्य, क्षमता निर्माण, कार्यान्वयन, वित्तीय सहायता, निगरानी संबंधी क्रियाकलापों के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएगें। जिला–वार योजना में ग्राम पंचायत– वार ब्यौरे रहेंगे। संदर्भ आधार पर इस समग्र राज्य द्वारा तैयार की गई राज्य परियोजना कार्यान्वयन योजना को बेसलाइन आंकड़ों और एस.बी.एम. के संशोधित मानदण्डों के आधार पर संशोधित किए जाएंगे। राज्यों को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के परामर्श से अनुमोदित वार्षिक कार्यान्वयन योजना के अनुसार संपूर्ण राज्य के समग्र वित्त पोषण के अंतर्गत अलग–अलग जिलों के लिए संसाधनों के आवंटन में अंतर–जिला परिवर्तन करने की अनुमति होगी।

व्यवहारगत बदलाव लाने सहित इन प्रारम्भिक आई.ई.सी. कार्यों के लिए निधियां– उपलब्ध करायी जाएंगी। इसके अन्तर्गत प्रत्येक समुदाय में प्रत्येक परिवार तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा और सुरक्षित स्वच्छता की आवश्यकता के संबंध में जानकारी देकर खुले में शौच करने के कुप्रभावों के बारे में प्रचार–प्रसार करेंगे और महसूस की गई उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे समुदाय अभिमुख बनाएंगें। समुदाय स्तर पर संकेन्द्रित संचार के साथ लक्षित आबादी में शर्म एवं अप्रसन्नता की भावना को प्रसारित किया जा सकता है जहां खुले में शौच की समाप्ति के लिए संपूर्ण समुदाय को सकारात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है तथा समुदाय के सम्मान को कायम रखा जा सकता है। अलग–अलग परिवारों को प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं लागत दिनों रूप में उनके पारिवारिक शौचालयों के लिए विकल्पों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। उपयुक्त स्वच्छता पद्धतियों के लिए

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)

व्यवहारगत वांछित स्थायी बदलाव लाने के लिए अंतर–वैयक्तिक संचार के आधार पर व्यापक आई.ई.सी एवं सहयोग से निम्नलिखित में से एक या अधिक की भागीदारी की संकल्पना की गई है।[5]

ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं के प्रसार से उस दृष्टिकोण का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है जिसमें अनिवार्य रूप वह अवयव शामिल होगा जिसमें घरों में परिवर्तन के संभावित कारकों के रूप में विद्यालय एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी शामिल होते है। इसका उपयोग अधिकतम संभव सीमा तक किए जाने की आवश्यकता है तथा स्वच्छता सुविधाओं के उन्नयन एवं उपयोग के लिए बनाई गई किसी योजना में शामिल किया जा सकता है।

विकल्पों की सूची में निहित लोचनीयता गरीबों एवं वंचित परिवारों को उनकी आवश्यकता एवं वित्तीय स्थिति के अनुसार उनके शौचालयों के अनुवर्ती उन्नयन का अवसर उपलब्ध कराना है। प्रोत्साहन राशि का समुचित उपयोग राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार किया जाएगा। सरकारी एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच समन्वयात्मक अंर्तसंबंध आवश्यक है।[6]

ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के लिए प्रोत्साहन राशि उन राज्यों के लिए उपलब्ध है जो इसे उपलब्ध कराना चाहते है। इसका उपयोग कवरेज को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है ताकि समुदाय संबंधी उपलब्धियॉ हासिल की जा सके। राज्यों को प्रोत्साहन राशि के उपयोग के संबंध में लोचनीयता प्राप्त होगी। दी गई प्रोत्साहन राशि व्यक्तिगत परिवारों अथवा जहां ग्राम पंचायतों/ब्लॉकों/जिलों में मांग में बढ़ोतरी करने हेतु सामुदायिक मॉडल को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया है, वहां संपूर्ण समुदाय अथवा दोनों के लिए हो सकती है। चूंकि प्रत्येक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि 12000 रूपये है इसलिए राज्य सम्पूर्ण राशि (केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी) प्राप्त करने के पात्र होंगे। तथापि, मिशन पर भारित प्रोत्साहन राशि का उपयोग पुर्नरूपेण जल एवं स्वच्छता क्षेत्रों पर किया जायेगा।

राज्य कार्यक्रम के अंतर्गत मांग की पूर्ति के लिए शौचालयों के वास्तविक निर्माण की प्रक्रियाविधि तय करेंगे। आई.ई.सी. संचालन, क्षमता निर्माण, निगरानी क्रियाकलापों के लिए निधियों का प्रवाह ग्राम पंचायतों अथवा प्रशासनिक विभागों, सी.एस.ओ.एन. जी. ओ.एस.एच.जी. आदि जैसी अन्य एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकता है। जिसका निर्धारण राज्य द्वारा किया जाएगा। वैचारिक तौर पर निर्माण कार्य स्वयं लाभार्थियों द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें गांव की एजेंसियों से/द्वारा सहायता ली जा सकती है। राज्य परिवारों को दो चरणों में एक–निर्माण पूर्वचरण तथा दूसरा निर्माण कार्य के समापन एवं उपयोग पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का निर्णय ले सकते है। तथापि, सामुदायिक प्रोत्साहन राशि, यदि कोई हो, तभी जारी की जा सकती है जब गांव एक निर्धारित अवधि तक के लिए खुले में शौच करने की प्रथा से मुक्त है। इन परिणामों का परिमापन सुदृढ़ अनुपालन निगरानी प्रणाली के माध्यम से किया जाना होता है।[7]

चूंकि संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आजीविका मिशन का कार्यान्वयन स्वःसहायता समूहों के विशाल नेटवर्क, गांवों में स्वःसहायता समूहों के ग्रामीण संगठन, आजीविका संबंधी विकल्पों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त, जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्वः सहायता समूहों के प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय परिसंबंधों के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य प्रभावी आई.ई.सी. एवं बी. सी.सी. मांग सृजन एवं क्षेत्र विशिष्ट शौचालय की डिजाइन एवं विनिर्देशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वःसहायता समूहों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करने के लिए संबंधित राज्यों में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाईयों के साथ समन्वय कर सकते है। स्वःसहायता समूहों का उपयोग स्वच्छता अवसंरचना के लिए सूक्ष्म वित्त पोषण इकाई के रूप में भी किया जा सकता है। एस.बी. एम. के अन्तर्गत उपलब्ध परिक्रामी निधि का उपयोग एनआरएलएम तंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा व्यवस्था राज्य स्तर पर की जा सकती है। स्वःसहायता समूहों का उपयोग सुदुर क्षेत्रों में ग्रामीण स्वच्छता–बाजार के रूप में कार्य करने के लिए किया जा सकता है। जहां ऐसी प्रणाली के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए भारी मात्रा में खरीद और गुणवत्तापूर्ण हार्डवेयर की सुपुर्दगी सुनिश्चित की जा सकती है। इसके लिए एसबीएम के अन्तर्गत वित्तपोषण की अनुमति दी जाएगी।[8]

गांव की खुले में शौच करने की स्थिति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ–साथ, पारिवारिक, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी शौचालय तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण एवं उपयोग की निगरानी करने के लिए सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था कायम करनी होगी। निगरानी के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ, सामाजिक लेखा परीक्षा जैसे सुदृढ़ समुदाय नीततंत्र का उपयोग किया जाना है।[9]

निगरानी कार्य करने, सुधारात्मक कार्य के संबंध में सलाह देने और अच्छी पद्धतियों का उन्नयन करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर यदि राज्यों द्वारा अपेक्षित हो, त्वरित कार्य शिक्षण इकाई बनायी जानी चाहिए। आरएएल इकाईयॉ छोटी, लचीली और इन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा त्वरित और प्रभावी दृष्टिकोण बनाने, समाधान का विकास, साझेदारी एवं प्रसार करने लिए विशिष्ट होगी। यह कार्य (जो खेतों में किया जा रहा है) और कार्य (अभिनव कार्य के माध्यम से प्राप्त) पर आधारित शिक्षण से होगा। ये इकाइयॉ एसबीएम के अन्तर्गत क्षेत्र क्रियाकलापों के साथ अद्यतन विचारोत्तेजक एवं अनुसंधान, अभिनव दृष्टिकोणों की क्षेत्र जांच और हिस्सेदारी एवं फीडबेक सहित अन्य क्रियाकलाप निष्पादित करेंगे। आर.ए.एल.यू. का वित्तपोषण एसबीएम के प्रशासनिक घटक के माध्यम से किया जाएगा जिसमें से निगरानी एवं मूल्यांकन निधियां उपलब्ध करायी

जानी है।[10] सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चुने गए ग्राम पंचायतों में कवरेज की गति तेज करने के लिए इन ग्राम पंचायतों का एसबीएम के अन्तर्गत कवरेज हेतु प्राथमिकता आधार पर चयन किया जाए।

निष्कर्ष–

भारत देश यदि पूर्णतया स्वच्छ बन जाता है तो इससे कई फायदे होंगे। इससे सबसे ज्यादा निजी निवेशक हमारे देश में निवेश करेंगे जिससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी इसके अलावा यहां पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा, रोजगार बढ़ेगा आदि फायदे होंगे। इसके तहत नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक को साल में 100 घंटे स्वच्छता को सुपुर्द करने को कहे है ताकि देश को साफ एवं सुन्दर बनाया जा सके। इसके साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर 0.5 प्रतिशत स्वच्छता सेस लगाया गया है ताकि देश की स्वच्छता में सभी नागरिक योगदान दे सकें और इसमें अधिक खर्च हो सके और 2019 तक भारत के पूर्णतया स्वच्छता देश बन सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी अपना एक बड़ा योगदान देते हुए पूरे उत्तरप्रदेश के सरकारी कार्यालयों में गुठका, पान, तम्बाकू आदि बंद कर दिया है। स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है जिससे पूरे विश्व में भारत नयी ऊँचाईयों तक पहुंचेगा। लेकिन ऐसा संभव हो पाने के लिए देश के हर नागरिक का इसमें साथ होना जरूरी होगा। यदि हम अपने देश को इस विश्व में नयी उपलब्धियां दिलाना चाहते है तो हमें सफाई की और खुद तो भरसक प्रयास करने ही होंगे साथ में दोस्तों को भी प्रेरित करने होगा। ऐसा यदि हुआ तो जल्द ही हमारा देश विश्व के सबसे साफ देशों में शुमार होगा। हमारे देश के सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपना–अपना योगदान दिया है।

संदर्भ सूची–

1. योजना, जनवरी 2018, पृ.17
2. वहीं, पृ.18
3. दुर्गा शंकर मिश्रा : शहरों में स्वच्छता के स्थाई उपाय (योजना–दिसम्बर 2017), पृ. 25
4. वहीं, पृ.28
5. अभिनव शर्मा : स्वच्छ भारत अभियान की रूपरेखा, इण्डिया टूडे, पृ. 36
6. देवी शंकर : ग्रामीण भारत में स्वच्छ भारत अभियान, हिन्दूस्तान टाईम्स, पृ.6
7. कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2018, पृ. 29
8. वहीं, पृ.31–32
9. दुर्गा शंकर मिश्रा : शहरों में स्वच्छता के स्थाई उपाय (योजना–दिसम्बर 2017), पृ. 29
10. अभिनव शर्मा : स्वच्छ भारत अभियान की रूपरेखा, इण्डिया टूडे, पृ. 39

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)